(26)

।। श्री ।।

R1294-PBR/17 निगरानी प्रकरण क्र. : ..../पीबीआर/2017

प्रस्तुति दिनांक : 01/05/2017

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

1. **देवेन्द्र कुमार पिता श्री प्रभुदयाल बिरारी**
2. **प्रभुदयाल पिता श्री गेंदालाल बिरारी**

दोनो निवासी–ग्राम बलवाडी तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.)

.......प्रार्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि. 01.5.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. **भगवान पिता श्री छीतर यादव**
2. **कैलाश पिता श्री भगवान यादव**
3. **यशवंत पिता श्री भगवान यादव**

तीनों निवासी–ग्राम बलवाडी तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.)

.........प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील खरगोन जिला खरगोन के राजस्व प्रकरण कमांक 2/अ–13/2014–15 में दिनांक 12/04/2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1294-पीबीआर/2017 [देवेन्द्रकुमार/भगवान] जिला खरगोन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील खरगोन जिला खरगोन के प्रकरण क्रमांक 2/2014-15/अ-13 में पारित अंतरिम आदेश दि. 12-4-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्थल निरीक्षण टीप एवं मौका पंचानामे से भी अनावेदकगण के द्वारा चाहा गया रास्ता वहीवाटी रास्ता होना कदापि प्रमाणित नहीं हुआ है,इसके उपरांत भी मौके पर उपस्थित संबंधित लोगों के असत्य कथन के आधार पर अनावेदकगण को जो अंतरिम रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, उसका पुनर्विलोकन किये जाने के लिये योग्य एवं पर्याप्त आधार होते हुये भी आवेदकगण का पुनर्विलोकन आवेदन निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद अंतरिम रूप से रास्ता दिया गया है । अत: प्रकरण में इस स्तर पर हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है, इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार खरगोन द्वारा पारित अंतरिम आदेश दि.12-4-17 स्थिर रखते हुये तहसील न्यायालय को प्रकरण का दो माह में अंतिम निराकरण करने के लिये प्रत्यावर्तित किया जाता है । अध्यक्ष	